



2026:AHC-LKO:22583

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट-सी संख्या - 2929 वर्ष 2026**

शिव मोहन यादव

.... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग,

लखनऊ एवं अन्य

.... प्रतिवादीगण(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

: पंकज कुमार तिवारी

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार

पांडेय

न्यायालय संख्या-6**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया

1. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्रस्तुत किए जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता; प्रतिवादी संख्यां 1 से 5 के लिए विद्वान तथा अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्यां 6 के लिए श्री दिलीप कुमार पांडेय, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।
3. वर्तमान याचिका दिनांक 24.04.2024 के आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही आरंभ की गई तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित किया गया, साथ ही दिनांक 26.11.2024 के उस आदेश को भी चुनौती दी गई है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त कर दी गई।
4. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में किसी पट्टे के आधार पर संपत्ति के कब्जे में होने का दावा करता है। प्रतिवादीगण ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की मुख्यतः इस आधार पर कि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि नहीं थी तथा याचिकाकर्ता उक्त भूमि पर अनधिकृत कब्जे में था। उक्त भूमि को बंजर भूमि के रूप में दर्शाया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया गया कि कोई सूचना कभी तामील नहीं की गई,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तथापि दिनांक 24.04.2024 को याचिकाकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित कर दिया गया।

5. उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि याचिकाकर्ता को गाटा संख्या 1297मि/1.736 हेक्टेयर की भूमि, जो कि बंजर भूमि है पर अनधिकृत कब्जे में दर्शाया गया है। यह भी अभिलिखित किया गया कि उक्त कार्यवाही में प्रतिवादी-वर्तमान याचिकाकर्ता-उपस्थित नहीं था तथा इस न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण हेतु दिए गए निर्देश के दृष्टिगत निरीक्षक की आख्या का अवलोकन किया गया और उक्त आख्या के आधार पर दिनांक 24.04.2024 को बेदखली का आदेश पारित किया गया।

6. उक्त से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने अपील प्रस्तुत की साथ ही अंतरिम अनुतोष आवेदन भी प्रस्तुत किया। चूंकि उक्त का निर्णय नहीं किया जा रहा था याचिकाकर्ता ने रिट - सी संख्या 6028 वर्ष 2024 दाखिल कर इस न्यायालय से संपर्क किया, जिसे दिनांक 12.07.2024 को निस्तारित करते हुए यह निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत अंतरिम अनुतोष आवेदन का निर्णय तीन सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाए, तथा ध्वस्तीकरण के विरुद्ध अंतरिम अनुतोष भी याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रदान किया जाय। तत्पश्चात, अपील का निर्णय दिनांक 26.11.2024 के आदेश द्वारा किया गया।

7. उक्त दोनों आदेश इस याचिका में चुनौती के अधीन हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि सुनवाई का अवसर न दिए जाने के संबंध में तथ्य का अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निराकरण नहीं किया गया।

यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने यह भी अभिवचन किया था कि वह उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67क के लाभों का हकदार होगा, जिसका अभिलेखन तो किया गया, परन्तु अपीलीय आदेश में उसका निराकरण नहीं किया गया है। यह भी अभिलिखित है कि संपूर्ण क्षेत्र विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आबाद है तथा कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध चयनात्मक कार्यवाही की गई है।

9. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, निर्देशों के आधार पर, यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि रिट - सी संख्या 1344 वर्ष 2026 में, जिसे जनहित याचिका के रूप में ग्रहण किया गया था, दिनांक 25.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित बेदखली आदेशों के क्रियान्वयन हेतु निर्देश जारी किए गए थे और उक्त निर्देशों के अनुपालन में याचिकाकर्ता को बेदखल करने हेतु कदम उठाए गए। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 25.02.2026 के निर्णय में निहित उक्त निर्देशों को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है।

10. याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावे के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67क के अंतर्गत लाभ के संबंध में याचिकाकर्ता के कथन के संबंध में, निर्देश इस बात के संबंध में मौन हैं कि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए लाभ उपलब्ध हैं या नहीं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. यह निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67क से उत्पन्न याचिकाकर्ता के दावे के संबंध में किए गए अभिवचन का अपीलीय आदेश में निराकरण नहीं किया गया।

12. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा रिट - सी संख्या 1344 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 25.02.2026 के अपने निर्णय में सामान्य निर्देश दिए गए थे, जिनमें यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि पारित बेदखली आदेश का क्रियान्वयन क्यों नहीं किया गया है। न्यायालय का आशय कभी भी यह निर्देश देने या सुझाव देने का नहीं था कि पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध उपचारों का उपभोग करने की अनुमति न दी जाए। अतएव, इस न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश स्वतः ही याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्पन्न अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता।

13. अपीलीय आदेश तथा पारित बेदखली आदेश पर आते हैं, बेदखली आदेश स्पष्टतः एकपक्षीय है और याचिकाकर्ता का कोई प्रतिरक्षा न तो विचारित किया गया और न ही दाखिल करने की अनुमति दी गई। याचिकाकर्ता की प्रतिरक्षाएं तथा कथन, अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष भी, विचारित नहीं किए गए हैं।

14. याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए वैधानिक अधिकारों पर विचार के अभाव में, दोनों प्रश्नगत आदेश अर्थात् दिनांक 24.04.2024 एवं 26.11.2024 स्थिर नहीं रह सकते और निरस्त किए जाते हैं।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. याचिकाकर्ता अब 09.04.2026 को तहसीलदार, रायबरेली के समक्ष उपस्थित होगा तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध अपना उत्तर दाखिल करेगा।
16. प्रस्तुत उत्तर के आधार पर तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत, तहसीलदार विधि के अनुसार नवीन आदेश पारित करेगा, अधिमानतः उत्तर दाखिल किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर।
17. इसके उपरांत, याचिकाकर्ता विधि के अंतर्गत उसके लिए उपलब्ध ऐसे उपचारों का लाभ लेने का अधिकारी होगा।
18. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचिकाकर्ता दिनांक 09.04.2026 तक अपनी आपत्ति दाखिल नहीं करता है, इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त संरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा।
19. श्री दिलीप कुमार पांडेय, प्रतिवादी संख्यां 6 के विद्वान अधिवक्ता, अत्यंत निष्पक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67क के अंतर्गत लाभ चाहता है, तो उसे संबंधित एसडीएम के समक्ष जाना होगा तथा उक्त आवेदन को तहसीलदार के समक्ष अभिलेख पर प्रस्तुत करना होगा।
20. श्री दिलीप कुमार पांडेय की निष्पक्षता की सराहना की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

21. याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67क के द्वारा उसके पक्ष में उत्पन्न होने वाले उपचारों का लाभ लेने की स्वतंत्रता होगी।
22. याचिकाकर्ता को उसके लिए उपलब्ध अन्य किसी भी वैधानिक लाभ का दावा करने का भी अधिकार होगा।
23. वर्तमान याचिका उपर्युक्त शर्तों के अनुसार **स्वीकार** की जाती है।

(न्यायमूर्ति पंकज भाटिया)

31 मार्च, 2026

निशांत

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।